राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः– एफ.5(3)एसडीजी/सम/डीईएस/2016/I/77582 दिनांकः– 13-12-2017

कार्यशाला का कार्यवृत्त

भारत सरकार द्वारा अंगीकृत सतत् विकास लक्ष्य, 2030 को राज्य को प्रभावी करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आयोजना विभाग तथा यूनिसेफ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय मोनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु दिनांक 7–8 दिसम्बर, 2017 को योजना भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री एस.एल. मैनारिया, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, उत्तरी अंचल, जयपुर, श्री अखिलेश कुमार, संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय–भारत सरकार, यूनिसेफ, आयोजना विभाग तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों के साथ–साथ राज्य के लगभग 72 विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में भाग लेने वाले विभागों के प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

कार्यशाला के प्रारम्भ में श्री आर.के.पाण्डे, निदेशक (सां.), आयोजना विभाग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य, 2030 के सन्दर्भ में राज्य में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया तथा कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य के सन्दर्भ में भी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। डॉ.ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की मोनिटरिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता तथा इसमें सम्मिलित 17 गोल्स, 169 लक्ष्य तथा 300 से अधिक संकेतकों के राज्य के संदर्भ में निर्धारण से सम्बन्धित प्रयासों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में उपस्थित आयोजना विभाग के विशेषाधिकारी श्री विनेश सिंघवी द्वारा मोनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की आवश्यकता तथा नीति निर्धारण पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा सतत् विकास लक्ष्य, 2030 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा रहे एक्शन प्लान, रणनीति, मसौदा पत्र तथा लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का नीति निर्धारण पत्र में विस्तृत समावेश करने का भी अनुरोध प्रतिभागियों से किया गया।

कार्यशाला में उपस्थित यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्री शफकत हुसैन द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 17 सतत् विकास के लक्ष्यों के एक–दूसरे से जुड़े होने तथा गोल्स, टारगेट्स एवं इंडिकेटर्स के चयन की प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास लक्ष्य, 2030 के दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया एवं उसको वैश्विक स्तर पर स्वीकृत करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया।

कार्यशाला में उपस्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स तथा सतत् विकास लक्ष्य, 2030 में विहित लक्ष्यों एवं संकेतकों में भिन्नता तथा मंत्रालय/विभागवार निर्धारित किए गए संकेतकों के सन्दर्भ में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।

कार्यशाला के माध्यम से सभी विभागों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने विभागों में इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी तथा फोकल प्वॉइंट की नियुक्ति कर शीघ्र आयोजना विभाग को सूचित करें। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित इंडिकेटर्स के सन्दर्भ में राज्य स्तर पर प्रभावी किए जाने वाले इंडिकेटर्स का निर्धारण करें। इन इंडिकेटर्स पर अर्जित उपलब्धियों की नियमित समीक्षा के लिए उपलब्ध मेटा डेटा/डेटा सेट्स की उपलब्धता, उनकी समयबद्धता तथा उसका उप विभाजन स्तर आदि का उल्लेख करते हुए विस्तृत नीति पत्र विभागवार तैयार कर आयोजना विभाग को भिजवाए जाने की जानकारी भी दी गई।

विभागों से आए हुए प्रतिनिधियों से गोल्स/लक्ष्य/संकेतकवार चर्चा कर इनके द्वारा सूचनाएं संग्रहित करने की व्यवस्था के सन्दर्भ में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। विभागों से आए हुए प्रतिनिधियों को सतत् विकास लक्ष्यों की विभागवार संकेतकों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई।

गोलवाईज निर्धारित नोडल विभाग द्वारा गोल से सम्बद्ध विभागों के संकेतकवार सूचनाओं के संबंध में अपने स्तर पर बैठक कर ईकजाई सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

उल्लेखनीय है कि सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर विकास के सम्बन्ध में किया गया एक साहसिक एवं सार्वभौमिक समझौता है, जो सबके लिए समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा। सतत् विकास लक्ष्यों की परिकल्पना में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विज़न **"सबका साथ, सबका विकास"** और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम इसमें समाहित हैं।

कार्यशाला में सम्बन्धित विभागों से निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में भी अवगत करवाया गया:–

- सतत् विकास लक्ष्यों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसकी बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है।
- सतत् विकास लक्ष्यों के समंकों हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन केन्द्र का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को सौंपा गया है एवं विभिन्न नीति नियोजन सम्बन्धी कार्यों एवं विज़न डॉक्यमेंट से सम्बन्धित कार्य आयोजना विभाग के माध्यम से किया जाना है।
- विभागों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एस. डी.जी. से सम्बन्धित योजनाओं को एस.डी.जी. से मैप किया जावे।
- विभाग द्वारा अधिकांश सूचनाओं के आंकड़ों को कम्पाइल करवाकर एस.डी.जी. इंडिकेटर्स के रूप में प्रकाशित कराया जावे।
- प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि नियमित रूप से यह डेटा समयबद्ध रूप से रिपोर्ट किया जाता रहे।
- जिन सूचकों एवं लक्ष्यों के लिए अभी तक विचार नहीं किया गया है, के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जावें एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति के लिए सूचक आदि तैयार कराए जावें।

- विभागीय स्तर पर एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग की व्यवस्था की जावे एवं विभागीय नोडल अधिकारी और दिन–प्रतिदिन इन सूचनाओं के लेनदेन हेतु किसी फोकल प्वॉइन्ट अधिकारी की भी नियुक्ति की जावे।
- सभी विभाग एस.डी.जी. से सम्बन्धित बेस्ट प्रेक्टिस को शेयर करे एवं एस.डी.जी. से सम्बन्धित समस्त कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी करे।
- ये डेटा न्यूनतम स्तर तक यथा– ग्राम, ब्लॉक, जिला/एस.सी., एस.टी., ओबीसी,/महिला पुरूष/ ग्रामीण शहरी आदि तक विभाजित कर उपलब्ध कराए जाने हैं।
- प्रत्येक गोल से सम्बन्धित बेस लाइन डेटा वर्ष 2015–16 का रखा जाना है। इन गोल्स को वर्ष 2020 एवं 2030 तक उपलब्ध करने की कार्य योजना भी विभागों द्वारा तैयार की जानी है।
- सभी विभागों द्वारा मीटिंग नोटिस के साथ पूर्व प्रेषित निम्नलिखित तीन परिशिष्टों में सूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 तक प्रेषित की जानी है:–
  - Annexure-I SDGs Target and Indicators
  - Annexure-II Template for preparing note on SDGs
  - Annexure-III Details of Nodal Officer and Focal point for data related work
- सतत् विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं:–
  - एस.डी.जी. पुस्तिका।
  - गोलवार प्रभारी अधिकारियों के नाम, दूरभाष एवं नोडल विभागों की सूची।
  - गोलवार एवं विभागवार निर्धारित सूचकों की सूचना (समरी शीट)।

अंत में बैठक का सधन्यवाद् समापन किया गया।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.5(3)एसडीजी/सम/डीईएस/2016/I/77582 दिनांकः– 13-12-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ——————————
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप महानिदेशक (उत्तर क्षेत्र), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 55 केशव नगर, हवा सड़क, जयपुर।
7. आयुक्त/निदेशक/विभागाध्यक्ष.....
8. राज्य प्रमुख, यूनिसेफ, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक/सांख्यिकी अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय।
10. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (समन्वय)

दिनांक 7–8 दिसम्बर, 2017 को सतत् विकास लक्ष्यों पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला में भाग लेने वाले विभागों की सूची

1. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. श्रम विभाग, जयपुर।
6. रोजगार विभाग, जयपुर।
7. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. पुलिस विभाग, जयपुर।
9. राज्य चुनाव आयोग, जयपुर।
10. वन विभाग, जयपुर।
11. पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कृषि विभाग, जयपुर।
13. जल संसाधन विभाग, जयपुर।
14. पर्यटन विभाग, जयपुर।
15. शहरी विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ।
17. महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
18. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
19. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
21. परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
22. कृषि गणना विभाग, जयपुर।
23. दूरसंचार विभाग, जयपुर।
24. स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
25. पशुपालन विभाग, जयपुर।
26. सहकारिता विभाग, जयपुर।
27. ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
28. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
29. राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जयपुर।
30. उद्योग विभाग, जयपुर।
31. खान एवं खनिज विभाग, जयपुर।
32. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर।
33. प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
34. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
35. तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
36. सतत एवं साक्षरता निदेशालय, जयपुर।
37. समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर ।
38. उच्च शिक्षा विभाग।
39. राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड, कमिशनर पुलिस मुख्यालय के पास, जयपुर।
40. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
41. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
42. राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
43. शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
45. परिवहन विभाग, जयपुर।
46. शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय, जयपुर।
47. राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद्, जयपुर।
48. पेट्रालियम विभाग, जयुपर।
49. कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
50. कर्मचारी राज्य बिमा निगम, जयपुर।
51. कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
52. जनशक्ति विभाग, जयपुर।
53. आर्थिक एवं साख्यिकी निदेशाल, जयपुर।
54. आयोजना विभाग, जयपुर
55. यूनिसेफ
56. उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
57. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जयपुर।
58. कारखाना एवं बायलर्स विभाग, जयपुर।
59. नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
60. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एन्टरप्राईजेज़, जयपुर।
61. आयोजना (आयोजना वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
62. आबकारी विभाग, जयपुर।
63. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
64. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर।